

अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश) – 2021

Engineering Entrance Competitive Examination
(Lateral Entry) - 2021



ज्ञानस्थापन सरकार

ज्ञानस्थापन संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि	14.08.2021
ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया समाप्ति की तिथि	28.08.2021
परीक्षा की तिथि	2nd Week of September -2021

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम—तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची

Inquiry No.: 9264473893/9264473891

Board's Website :- <http://jceceb.jharkhand.gov.in>

विषय सूची

विवरण

<u>क्रम सं.</u>	<u>पृष्ठ सं.</u>
<u>1.</u> परिचय	3
<u>2.</u> संस्थान	3
<u>3.</u> संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी	3
<u>4.</u> प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता	3
<u>5.</u> आवासीय अहती	4
<u>6.</u> शारीरिक योग्यता	4
<u>7.</u> आयु सीमा	4
<u>8.</u> संस्थान में नामांकन हेतु शुल्क	4
<u>9.</u> आरक्षण	4 – 5
<u>10.</u> अभियंत्रण पाठ्यक्रम (पार्श्विक प्रवेश) प्रवेश प्र० परीक्षा – 2021 के प्रश्न पत्रों के प्रकार	5
<u>11.</u> अभियंत्रण पाठ्यक्रम (पार्श्विक प्रवेश) प्रवेश प्र० परीक्षा – 2021	5
<u>12.</u> परीक्षा केन्द्र	5
<u>13.</u> आवेदन करने का तरीका	5–6
<u>14.</u> आवेदन–सह–परीक्षा शुल्क	6
<u>15.</u> आवेदन पत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश	6
<u>16.</u> प्रवेश पत्र	6
<u>17.</u> मेधा सूची का निर्माण	6
<u>18.</u> पुनर्मूल्यांकन एवं पुर्नयोग	7
<u>19.</u> प्रथम साक्षात्कार	7
<u>20.</u> द्वितीय साक्षात्कार	7
<u>21.</u> साक्षात्कार संबंधी सभी नियमों एवं वाइति प्रमाण–पत्रों की जानकारी हेतु कंडिका 24 एवं 25 देखें	7
<u>22.</u> संस्थान परिवर्तन	7
<u>23.</u> साक्षात्कार शुल्क	7
<u>24.</u> अन्य आवश्यक सूचनाएँ	7–8
<u>25.</u> साक्षात्कार/नामांकन के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ आवेदन पत्र भरने हेतु चरणबद्ध निर्देश	8–9 9 – 10
अनुसूची – क: झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान	11 – 12
अनुसूची – ख: स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप	13
अनुसूची – ग: जाति प्रमाण–पत्र (SC/ST) का प्रारूप	14–15
अनुसूची – घ: जाति प्रमाण–पत्र (BC-I/ BC-II) का प्रारूप	16–17
अनुसूची – ङ: Income & Assets Certificate for Economically Weaker Sections (EWS प्रमाण–पत्र) का प्रारूप	18



मार्ग–निर्देशिका/ Prospectus

1. **परिचय :** झारखण्ड राज्य स्थित सरकारी एवं गैर सरकारी स्नातक अभियंत्रण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2021–22 के तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष) में नामांकन, अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (Lateral Entry) – 2021 के परीक्षाफल से तैयार की गयी मेधा सूची से मेधा—सह—ईच्छा के आधार पर होगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित करायी जायेगी।

2. **संस्थान :** इसके अन्तर्गत सरकारी, गैर—सरकारी एवं पी०पी०पी० मोड पर संचालित अभियंत्रण संस्थानों के अभियंत्रण स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के शाखाएँ समिलित हैं।

3. **संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी :** सभी संस्थानों के अभियंत्रण स्नातक पाठ्यक्रम अन्तर्गत शाखावार एवं कोटिवार सीटों की उपलब्धता पर्षद के वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर Downloads कॉलम पर देखी जा सकती है। उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 238 दिनांक 12.03.2020 के आलोक में संस्थानों के कुल स्वीकृत सीटों के 10% सीटों पर नामांकन लैटरल इण्ट्री के तहत लिया जायेगा।

यह शैक्षणिक सत्र 2021–22 के आधार पर आधारित है जिसमें उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, राँची के आदेशानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन होने की स्थिति में अद्यतन सीटों की जानकारी साक्षात्कार के समय दी जायेगी।

4. **प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :**

(a) Passed Diploma examination from an AICTE approved Institution; with at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved

category) in any branch of Engineering and Technology.

(b) Passed B.Sc. Degree from a recognized University as defined by UGC, with at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) and passed XII standard with mathematics as subject.

(c) Provided that the students belonging to B.Sc. Stream, shall clear the subjects of Engineering Graphics/ Engineering Drawing and Engineering Mechanics of the First year Engineering Programme along with Second year subjects.

(d) Provided that the students belonging to B.Sc. Stream shall be considered only after filling the supernumerary seats in this category with students belonging to the Diploma.

(2) अर्हक परीक्षा में समिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन—पत्र भर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार की तिथि के पूर्व तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा वे नामांकन के योग्य नहीं समझे जायेंगे।

5. **आवासीय अर्हता :** प्रवेश परीक्षा में वे ही आवेदक भाग ले सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं तथा झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्यभाषा विभाग ने संकल्प झापांक 7/आ०नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का. – 3198, दिनांक 18.04.2016 एवं झापांक:- 14/विविध-15–22/2019

का० 5752 दिनांक 19.07.2019 में स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु नीति निर्धारित की गई है। सुलभ संकेत हेतु अधिसूचना की प्रति इस मार्ग—निर्देशिका के साथ अनुसूची—क में दी गई है तथा इसे पर्षद के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

आवश्यकीयों को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (ज्ञारखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी—असैनिक या उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। “स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र” का प्रपत्र अनुसूची—ख में देखा जा सकता है।

6. शारीरिक योग्यता : संस्थान में नामांकन के समय अनुशासित आवश्यकीयों को निबंधित चिकित्सक के द्वारा जारी प्रमाण—पत्र उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। अयोग्य होने की स्थिति में नामांकन नहीं किया जाएगा।

7. आयु सीमा : स्नातक अभियंत्रण पाठ्यक्रम हेतु कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

8. संस्थान में नामांकन हेतु शुल्क : नामांकन शुल्क की राशि के संबंध में जानकारी साक्षात्कार के समय दी जायेगी।

9. आरक्षण :

9.1 जाति आधारित आरक्षण : आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले अभ्यार्थियों को विहित प्रपत्र में ही सक्षम पदाधिकारी (ज्ञारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण—पत्र, साक्षात्कार/नामांकन के समय, मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत (ज्ञारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त को छोड़कर) जाति प्रमाण—पत्र पर आरक्षण का दावा विचारणीय नहीं होगा (संदर्भ : का०प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 7/आ०नि०—०१८—१०/२००३ का० 7072 दिनांक 30.12.2003 पत्रांक 14/जा०नि०—०३—१३/

2015 / का० 1754 दिनांक 25.02.2019) तथा उनका आरक्षण का दावा रद्द कर दिया जायेगा। वैसे अभ्यार्थियों को अनारक्षित कोटि में मान्यता दी जायेगी। अनुसूचित जनजाति कोटि के लिये निर्धारित सीटों में से न्यूनतम 2% सीटें आदिम जनजाति समूह के अभ्यार्थियों के लिये आरक्षित हैं, बशर्ते कि वे आवश्यक न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हों तथा अनुसूचित जनजाति कोटि की मेधा—सूची में स्वतः नहीं आते हों। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति कोटि के आरक्षण में क्षेत्रिज रूप से उपलब्ध होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यार्थियों को का०प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/जाति—१९—११/२००८ का०—१०००७ दिनांक 29.08.2012 के आलोक में “क्रीमी लेयर” अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

जाति प्रमाण—पत्र का विहित प्रपत्र मार्ग—निर्देशिका के अनुसूची—‘ग, घ’ एवं ‘ड’ में देखा जा सकता है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, ज्ञारखण्ड सरकार के संकल्प सं०— 5555 दिनांक 28.06.2016 के आलोक में 2 प्रतिशत सीट आदिम जन जातियों के लिये क्षेत्रिज आरक्षण के रूप में उपलब्ध होगा जो अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों से विनियमित होगा।

नोट : आरक्षण के दावे के संबंध में अपने कोटि के बारे में संतुष्ट हो लें। यदि कोई संशय हो तो अपने अंचल/अनुमण्डल कार्यालय से सम्पर्क कर लें।

9.2 आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के वर्ग का आरक्षण— इन सीटों पर आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यार्थियों को ज्ञारखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण साक्षात्कार/नामांकन के समय, मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9.3 शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षण : संस्थानों में शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित हैं। जिसकी

विवरणी पर्षद के वेबसाइट पर देखी जा सकती है। शारीरिक रूप से दिव्यांग का अभिप्राय होगा वैसे उम्मीदवार जो मूँह या बधिर, अंधापन या शारीरिक विकलांग या सभी साथ हो तथा जिनके शरीर का निचला हिस्सा एवं ऊपरी हिस्सा या दोनों मिलाकर कम से कम 40 प्रतिशत आंशिक असमर्थ हो। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को एक पूर्ण आकार का अपना फोटो देना होगा तथा जिला के असैनिक शल्य विकिल्सक (सिविल सर्जन) द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण—पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में सिर्फ अपना विकलांगता के प्रकार सम्बन्धी कोड भरें।

9.4 निःशुल्क शिक्षा योजना : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप), नई दिल्ली के प्रावधानानुसार प्रत्येक स्वीकृत संस्थान के प्रत्येक शाखा के कुल सीटों के 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के तहत वैसे अन्यर्थी को सीट आवंटित की जायेगी, जिनके पिता/माता/अभिभावक का सभी श्रोतों से वार्षिक आय 8 लाख से कम है। इसके लिये उन्हें झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) द्वारा जारी आय प्रमाण—पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण—पत्र एक (1) साल के अन्दर का निर्गत होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत सभी सीटें अनारक्षित होगी, अर्थात् इन सीटों का आरक्षण से कोई संबंध नहीं होगा तथा सीटों का आबंटन मेधा—सह—इच्छा के आधार पर किया जायेगा।

10. अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्वक प्रवेश) – 2021 के प्रश्न पत्रों के प्रकार : प्रश्न—पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार और बहु—विकल्प प्रकृति के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जायेगी। एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प देने पर उसकी गणना गलत उत्तर के रूप में की जायेगी एवं तदनुसार अंकों की कटौति की जायेगी।

प्रश्न पत्र के विषय, परीक्षा की अवधि, परीक्षा का प्रकार एवं स्तर इत्यादि निम्नलिखित है।

परीक्षा की अवधि—2 घंटे 30 मिनट)

प्रश्न—पत्र के विषय	पूर्णांक	परीक्षा का स्तर	परीक्षा की तिथि
अभियंत्रण भौतिकी	50	डिप्लोमा (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर)	
अभियंत्रण रसायन शास्त्र	50	डिप्लोमा (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर)	सितम्बर— 2021 के द्वितीय सप्ताह में
अभियंत्रण गणित	50	डिप्लोमा (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर)	

11. अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्वक प्रवेश) – 2021 एक चरण में Computer Based Test (CBT) Mode में राँची जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न ऑनलाईन परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।

12. परीक्षा केन्द्र : परीक्षा राँची शहर स्थित परीक्षा केन्द्रों में होगी।

13. आवेदन करने का तरीका: आवेदक को ऑनलाईन तरीके से आवेदन करना है।

पर्षद के वेबसाइट

<http://jceceb.jharkhand.gov.in> "Online Application for Engineering Entrance Competitive Examination (Lateral Entry)— 2021" पर Click कर दिये गये दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करते समय स्कैन किया हुआ हाल का फोटोग्राफ, स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर एवं स्कैन किया हुआ अगूठे का निशान तैयार रखें। किसी भी अनिवार्य कण्डिका को खाली नहीं छोड़ें। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट पर्षद कार्यालय को नहीं भेजना है। उसकी तीन—चार प्रिंट आउट रख लें, जिसकी भविष्य में जरूरत पड़ सकती है।

14. आवेदन—सह—परीक्षा शुल्क

सामान्य/EWS/पिछड़ी जाति - I/पिछड़ी जाति - II कोटि के आवेदकों को ₹ 900/- एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के आवेदकों एवं सभी कोटि के महिला आवेदकों को ₹ 450/- आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा। सभी कोटि के दिव्यांगजनों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा गया है।

ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत आवेदन-सह-परीक्षा शुल्क जमा करने का तरीका :-

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सारी जानकारियाँ समर्पित करने के उपरान्त परीक्षा शुल्क, पैमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया जा सकता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग की सुविधा दी जायेगी।

15. आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश : आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व मार्गनिर्देशिका को भली-भौति पढ़ ले। गलत या अपूर्ण सूचना देने पर आवेदन को अस्वीकार/रद्द किया जा सकता है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन बाद में नहीं किया जायेगा। फोटोग्राफ रंगीन होना चाहिए तथा चेहरे के साथ-साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। फोटोग्राफ संपादित (Edited) नहीं होना चाहिए अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

16. प्रवेश पत्र : निर्धारित तिथि तक प्राप्त, पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे तथा परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश पत्र e-mail पर उपलब्ध करा दी जायेगी। प्रवेश पत्र में अन्यथी का नाम, स्कैन फोटोग्राफ, जन्मतिथि, लिंग, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय, परीक्षा केन्द्र, पता, अनुक्रमांक एवं उनका आरक्षण कोटि दर्ज रहेगा। **प्रवेश-पत्र नहीं मिलने या फोटो/लिंग/कोटि में त्रुटि संशोधन हेतु पर्षद**

द्वारा परीक्षा से संबंधित जारी विज्ञापन जरूर देखें तथा उसमें दिये गये निर्देशों का पालन करें।

17. मेधा सूची का निर्माण : अभियंत्रण स्नातक पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त मेधा सूची के साथ-साथ कोटि-वार मेधा सूचियों का निर्माण किया जायेगा। सीटों का आबंटन मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर अभियंत्रण पाठ्यक्रम में किया जायेगा।

अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्वक) – 2021 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा। इस प्रवेश परीक्षा में दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उनका मेधा क्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा :

क्रम सं.	स्थिति	मेधा क्रम का निर्धारण
1.	प्राप्तांकों के जोड़ समान होने पर	अभियंत्रण गणित में प्राप्तांक के अनुसार
2.	क्रम सं. – 1 समान होने पर	अभियंत्रण भौतिकी में प्राप्तांक के अनुसार
3.	क्रम सं. 1 एवं 2 समान होने पर	जिनकी जन्म तिथि पहले हो
4.	क्रम सं. – 1, 2 एवं 3 समान होने पर	प्रथम नाम के अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार

18. पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्योग : उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन, दुबारा जोड़ आदि का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार किया जायेगा।

19. प्रथम साक्षात्कार : प्रथम ऑनलाईन साक्षात्कार के संबंध में अद्यतन जानकारी झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के साथ-साथ पर्षद के वेबसाईट के माध्यम से दी जाएगी।

20. द्वितीय साक्षात्कार : प्रथम ऑनलाईन साक्षात्कार के उपरांत यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो द्वितीय ऑनलाईन साक्षात्कार, उपर्युक्त की ही भाँति, आयोजित किया जाएगा। इस साक्षात्कार में वैसे अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं, जो प्रथम ऑनलाईन साक्षात्कार के माध्यम से अनुशंसित संस्थानों में या तो नामांकन ले चुके हैं या फिर शाखा/संस्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं। इसकी सूचना झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं पर्षद के वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।

21. साक्षात्कार सम्बंधी सभी नियमों एवं वाचित प्रमाण पत्रों की जानकारी हेतु कड़िका 24 एवं 25 देखें।

22. संस्थान परिवर्तन: इस तरह के सभी मामलों पर पर्षद की ओर से परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

“नामांकन की प्रक्रिया समाप्ति के बाद संस्थान एवं शाखा परिवर्तन सम्बंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों के प्रमुख द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा नियंत्रक के निर्णय के प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी।”

23. साक्षात्कार शुल्क : इस संबंध में विस्तृत जानकारी साक्षात्कार सम्बंधी विज्ञापन में दी जायेगी।

24. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

24.1 परीक्षा सम्बंधी सभी कार्यों का संचालन झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से परीक्षा नियंत्रक करेंगे एवं उनके द्वारा लिया गया सभी निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे।

24.2 परीक्षा एवं साक्षात्कार सम्बंधी अद्यतन जानकारी हेतु पर्षद के वेबसाइट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के सम्पर्क में रहे।

24.3 इस मार्ग निर्देशिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान से सीधे पत्राचार करें।

24.4 झारखण्ड सरकार/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को इस मार्ग-निर्देशिका में सन्निहित नियमों/प्रावधानों/सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों तथा/या पर्षद के वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।

24.5 अभ्यर्थी को साक्षात्कार/नामांकन के समय प्रतियोगिता परीक्षा का प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अतः प्रवेश पत्र को संभाल कर रखें।

24.6 यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी, पहचान इत्यादि किसी भी समय असत्य पाया गया तो उनकी अभ्यर्थीत्व तुरंत निरस्त कर दी जायेगी और उनके विरुद्ध झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी जिसमें कारावास तक का भी प्रावधान है।

24.7 कानूनी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में वाद के अंतिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन से विचित रखा जायगा।

24.8 इस प्रतियोगिता परीक्षा के प्रक्रिया/आवेदन/आवंटन या अन्य किसी प्रकार के दावे से संबंधित विवाद केवल माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/राँची व्यवहार न्यायालय क्षेत्राधिकार के अन्दर ही दायर किए जाएंगे और वे ही मान्य होंगे।

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्षद वाद दायर कर सकेंगा अथवा पर्षद के विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे।

24.9 साक्षात्कार/नामांकन के समय अभ्यर्थियों को निम्नांकित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ तथा उनकी एक-एक छाया-प्रति जो स्वअभिप्राप्ति हो, साक्षात्कार/नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इनमें से किसी एक भी वांछित मूल प्रमाण-पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं

करने पर उम्मीदवार को संस्थान/शाखा/सीट आवंटन से वंचित कर दिया जायगा। नामांकन के समय सिर्फ Xerox Copy या Fax Copy उपलब्ध कराने पर उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी।

1. माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र (मूल या औपबंधिक)।

2. डिप्लोमा के प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।

3. झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र।

4. झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)।

5. जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र तथा एक फुल साईज (पूरे शरीर का) फोटोग्राफ (विकलांग कोटा का लाभ लेने की स्थिति में)

25. साक्षात्कार के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ

25.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त ही, अपने दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र, संबंधित अंचल/अनुमण्डल/उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त कर ले।

25.2 साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसे नामांकन के समय, संबंधित संस्थान में जमा करना अनिवार्य है।

25.3 ऑफ-लाईन साक्षात्कार की स्थिति में अगर कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होते हैं अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी वांछित/निर्धारित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा अपनी पहचान स्थापित नहीं करते हैं अथवा डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाये जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जाएगी।

25.4 साक्षात्कार, संयुक्त मेधा सूची के अनुसार आयोजित की जायेगी। आरक्षित कोटि यथा SC/ST/BC-I/BC-II/EWS के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे अनारक्षित कोटि के लिए उपलब्ध सीटों/संस्थानों के साथ-साथ अपने आरक्षित कोटि के लिए उपलब्ध सीटों/संस्थानों का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

25.5 नामांकन के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों, उनका हस्ताक्षर तथा पहचान की छान-बीन की जायेगी।

जाली प्रमाण-पत्र अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध भा०द०वि० की योग्य धाराओं के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं साथ ही साथ पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षों तक शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा।

25.6 अभ्यर्थी को सीट आवंटन के उपरान्त निर्धारित तिथि तक नामांकन लेना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आवंटन पत्र स्वतः रद्द समझा जाएगा।

25.7 साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की मेधा क्रम संख्या पर उपलब्ध रिक्त संस्थानों में से अभ्यर्थी को शाखा एवं संस्थान का आवंटन, मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है। साक्षात्कार हेतु प्रकाशित किए जाने वाले मेधा सूची में अन्तर्निहित अभ्यर्थियों के नामांकन की गारंटी नहीं है।

25.8 नामांकन के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा Anti Ragging के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के आलोक में सभी अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को अपने—अपने आवंटित संस्थानों में निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का प्रारूप पर्षद के वेबसाइट पर Downloads कॉलम में उपलब्ध है।

परीक्षा नियंत्रक

आवेदन पत्र भरने हेतु चरणबद्ध निर्देश

आवेदन पत्र भरने के पूर्व मार्ग-निर्देशिका का भली-भाँति अध्ययन कर लें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि आवेदन भरते समय न हो। आवेदन करते समय स्कैन किया हुआ हाल का कलर फोटोग्राफ (15 KB से 100 KB), हस्ताक्षर (10 KB से 30 KB) एवं बायें हाथ के अंगुठे का निशान (10 KB से 30 KB) साइज का तैयार रखें।

पर्वद के अधिकृत वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर "Click Here for All Online Application Submission - JCECEB 2021" टैब पर Click करें उसके बाद "Engineering Entrance Competitive Examination (Lateral Entry) – 2021" link पर Click करें। Online आवेदन करने हेतु Online Application Process को तीन चरणों में विभक्त किया गया है :-

- Registration and Application Form filling
- Image Uploading
- Application Fee Payment
- प्रथम चरण (Registration and Application Form filling) – उपलब्ध आवेदन पत्र में माँगी गयी जानकारियों को भरें :-
 - Personal Details :- यथा— अपना नाम, Father's /Guardian's Name, Mother's Name, Date of Birth, Gender, Residential Status, Category (यदि General कोटि के अंतर्गत EWS कोटि में भी आते हैं तो EWS में "Yes" चुनें अन्यथा "No." चुनें। अनुसूचित जनजाति कोटि के अन्तर्गत आदिम जनजाति समूह में भी आते हो तो, अनुसूचित जनजाति कोटि के साथ-साथ आदिम जनजाति समूह में से अपना उप-जाति भी चुनें।), TFW, Persons with Disabilities, Annual Family Income, Nationality, Aadhaar No., Apply for (Engineering Entrance Competitive Examination (Lateral Entry)-2021 चुनें, Choice of Examination Centre, e-mail Id और Mobile No. इत्यादि भर कर Save & Continou पर Click करें। आपका Login Id (Application No. ही Login Id होगा) एवं Password आपके द्वारा बनाये गये Password होगा। पासवर्ड को आगे अपने इच्छानुसार एवं दिये गये निर्देशानुसार बदलने का Option आयेगा।
 - Educational Details :- Academic Details भरना है, जैसे अपना Branch of Diploma Course and Group Code चुनें (मार्ग- निर्देशिका की पृष्ठ संख्या-9 देखें),

Pass Status, Name of the Board/University, Year of passing/Appearing, Name of Institute/College & Address, Obtained Marks Percentage (अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में)।

- **Communication Details:-** अपना Communication Address भरें तथा Disclaimer Clause को पढ़ें तथा चेक बॉक्स पर क्लिक करें तथा Save & Next बटन पर Click करें। इसके बाद दिये गये निर्देशानुसार पासवर्ड बनायें। पासवर्ड 8 से 13 Character (8 से कम और 13 से अधिक नहीं) का बनायें जिसमें कम से कम एक Capital Letter, कम से कम एक Small Letter एवं कम से कम एक Number अवश्य ही होने चाहिए। अपने बनाये गये पासवर्ड को किसी के साथ साझा (Share) न करें अन्यथा पासवर्ड के दुरुपयोग की जबाबदेही आपकी स्वयं की होगी, एवं Security Code को भरें तथा Save & Next पर Click करें। आपके द्वारा दर्ज Mobile No. एवं ई-मेल पर Login Id एवं Password प्राप्त होगा।

Login Id एवं Password को भविष्य के लिए सुरक्षित लिखकर रख लें। दुबारा Login करने के लिए Login Id एवं Password की आवश्यकता पड़ेगी।

- **द्वितीय चरण (Image Uploading) :-** JPG Format में स्कैन किया हुआ हाल का रंगीन फोटोग्राफ (15 KB to 100 KB), JPG Format में स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर (10 KB to 30 KB) एवं JPG Format में स्कैन किया हुआ बायें हाथ का अंगुठे का निशान (10 KB to 30 KB) Upload करें।

द्वितीय चरण पूर्ण होने पर आपका आवेदन पत्र का Preview दिखाई पड़ेगा। अपने भरे गये व्यौरे को पुनः जाँच लें तथा पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लें। यदि आप Edit करना चाहें तो Modify बटन पर Click कर Edit कर लें तथा Save & Next पर Click करें।

- **तृतीय चरण :- Application Fee Payment :-** Payment पर Click करें। Payment पर Click करने के उपरान्त Bank Collect का स्क्रीन आयेगा। स्क्रीन पर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन-सह-परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

Successfully भुगतान करने के उपरान्त वेबसाइट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> पर "Engineering Entrance Competitive Examination (Lateral Entry) – 2021" link पर Click कर "Applicant login" पर Sign In कर अपना आवेदन पत्र Print कर लें तथा Print out निकाल कर सुरक्षित रख लें। प्राप्त आवेदन पत्र (confirmation page) को पर्षद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इसकी उपयोगिता भविष्य में होगी।

अनुसूची – क

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

३१९८

१८-०५-२०१६

विषय : "झारखण्ड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान।

स्थानीय व्यक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर दो जनहित याचिकाओं डब्लूपी०(पी०आई०एल०) 4056 / 2002 एवं 3912 / 2002 में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंड पीठ द्वारा सुनवाई के बाद दिनांक 27.11.2002 को निरस्त कर दिया गया और "स्थानीय व्यक्ति" को पुनः परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निदेश गठित करने के मामले में सरकार से निर्णय लेने की अपेक्षा की गई।

2. राज्य सरकार द्वारा स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा एवं पहचान के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, सामजिक संगठनों से गहन विचार विमर्श के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड का स्थानीय निवासी वैसे भारतीय नागरिक को माना जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी एक काडिका में उल्लिखित शर्त पूरी करता हो। —

- (i) झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं रख्य अथवा पूर्वज के नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो। भूमिहीन को मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखण्ड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परम्परा पर आधारित होगी।
- (ii) किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/सतान हो एवं झारखण्ड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (iii) झारखण्ड राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित/ मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मचारी या उनकी पत्नी/ पति/ सतान हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने वाली प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

- (iv) भारत सरकार का पदाधिकारी/ कर्मचारी जो झारखण्ड राज्य में कार्यरत हो या उनकी पत्नी/ पति/ संतान हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (v) झारखण्ड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक (statutory) पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी/ पति/ संतान हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (vi) ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखण्ड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष रस्तर तक की पूरी शिक्षा झारखण्ड रिथत मान्यता प्राप्त संरथानों से प्राप्त की हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार झारखण्ड रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमुख आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

१४ प १६
(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापाक-7 / आ० नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.- ३१९४ / रांची, दिनांक १४-०५-२००२ प्रतिलिपि—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रांची को भेजे।

१४ प १६
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापाक-7 / आ० नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.- ३१९४ / रांची, दिनांक १४-०५-२००२ प्रतिलिपि—महामंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१४ प १६
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापाक-7 / आ० नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.- ३१९४ / रांची, दिनांक १४-०५-२००२ प्रतिलिपि—महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१४ प १६
सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची – ‘ख’

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या – 14 / स्थानीयता नीति – 14–03 / 2016 का 0 4650, दिनांक 02 जून 2016 के आलोक में झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ सुश्री
 पिता/ पति श्री पता – ग्राम/ वार्ड/ शहर
 पो. थाना जिला के
 स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या – 3198 दिनांक 18.04.2016 की कंडिका – में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

प्रपत्र-५

आरखण्ड सारकार ने अधीन पदों पर नियुक्ति/वारिकला ढेसु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जारी अथवा अनुसूचित जनजाति के वरितायों को जारी प्रमाण-पत्र पारी किये जाने का कारम

प्रमाणित किया जाता है कि
 पिता पति
 (विवाहित गहिला ने गांगले में) प्राम/नाम जिला/प्रभाग
 राज्य/राज्याधिकारी/प्रदेश आरखण्ड राज्य में वाचा
 अनुमोदित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीन जाति/उगजाति के सदस्य है तथा धर्म को गानपत्याले है।

2 तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया
 आरखण्ड राज्य की प्राम/नाम जिला/प्रभाग म
 नियारा करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या आरखण्ड राज्य का अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति परी सूची में नाइ वरिष्ठतम होने तक दैश होगा।
 टिप्पणी :

- a. यहीं प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का यहीं अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अगिता रथान आवेदक की स्व-घोषणा पर आधारित है।
- b. जाति प्रामाण पत्र जारी करने के लिये सहानु प्राधिकारियों की सूची निम्नान्त निर्दिष्ट है।
 - i) जिला दड़ाधिकारी/अगर दड़ाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर रामाहता/प्रधान श्रेणी दड़ाधिकारी/अनुभाग दड़ाधिकारी/कारपालक दड़ाधिकारी/ राहायक समाहता एवं सहायक दण्डाधिकारी
 - ii) अचल अधिकारी
- c. पिछले पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन प्रामाण पीच्छी और छाई अनुसूची द्वारा व्यधारणाधिकारी रामाहता आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिये) तथा सशांकन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिये) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (राशोधान) अधिनियम 2002 द्वारा गठित आरखण्ड में विविताया और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गी के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001।

रथान
स्थिति

हस्ताक्षर
पदनाम
साम्यान्तर के रील सहित

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Son/ Daughter of (in case of married woman) of Village/ Town Wife of District/Division* of the State/Union Territory belongs to Caste/Sub-Caste under Scheduled Tribes/Schedule Caste which is approved as Scheduled Tribe/Caste for the State of Jharkhand and professes Religion.

2. * and/or* his/her* family ordinarily reside [s] in Village/Town* District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand

3. This certificate is valid till further orders or till any change made in SC/ST caste list for Jharkhand State.

Note :

- (a) The term 'ordinarily reside' [s] used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and the place is mentioned on the basis of self-declaration by the applicant.
- (b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:
- (i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Executive Magistrate/ Assistant Collector and Assistant Magistrate
- (ii) Circle Officer
- (c) Caste/Sub Castes enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act -2001, as amended by the fifth and sixth schedule under section 23 and 24 respectively of Reconstitution of Bihar Act, 2009 the Constitution of (Scheduled Castes) Amendment Order, 1950 and Amendment (Schedule Tribes) Amendment Order, 1950 and Schedule Castes and Schedule Tribes Order (Amendment) Act 2002.

Signature.....

Designation.....

Place.....

(with seal of office)

Date.....

अनुसूची - 'घ'

प्रधन - 11

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति / शैक्षणिक संस्थानों में जागांकन
हेतु आवेदन करने के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा
प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रगाण पत्र का पारग

प्रमाणित किया जाता है कि

पिता	पति	(पिचाहित)
महिला के भागले में) ग्राम/नगर		जिला/प्रगड़ल
राज्य/संघशासित प्रदेश		जाति को सदस्य है, जो
झारखण्ड रिपब्लिक और पदों के लिये आवश्यक (अनुसूचित जाति, अनुराधित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा ये	आवश्यक हैं।	

2

साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर	जिला/प्रगड़ल
में निवास करता है/करते हैं।	

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं
प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय द्वापांक 38012/22/93-रथा (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.
1993 की अनुसूची के स्टो-3 में चलिखिल तथा कार्मिक, प्रशासनिया सुधार तथा
राजभाषा विभाग के राकल्प सं 3482, दिनांक 10.06.2002 द्वारा यथा अधिकृत के अधीन
क्रीमीलेयर व्यवित्र/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय द्वापान सं 36012/22/93-रथा (एस.इ.टी.),
दिनांक 08.09.1993 की अपवर्जनों के नियमानुसार प्रयोगित आवेदक तथा उसकी/उसके
गाता-पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत
होने की लिये से एक वर्ष के लिये बैंध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्भवी
अद्यतन रखायेषणा पत्र (फार्म राख्या-15) सलान करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता
स्पष्टोषणा पत्र रागमित करने के वित्तीय गर्भ को लिए गान्धी होगी।

रक्षण

हस्ताक्षर

तिथि

पदनाम

कार्यालय के रोल सहित

**FORM OF NON-CREAMY LAYER CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/
BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION TO STATE EDUCATIONAL
INSTITUTIONS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND**

This is to certify that Son/ Daughter of (in case of married woman)
 Wife of of Village/ Town District/Division* of the State/Union Territory belongs to the Caste which is recognized as Backward Class under : Backward Class (Annexure-I/II) of Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act - 2001 *** and professes Religion.

2. * and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town* District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand.

3. This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/Sections (Creamy layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the OM No 36012/22/93-Estt (SCT) dated 08-09-1993 of Department of Personnel and Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative Reforms and Official languages vide Resolution No-3482 dated 10.06.2002.

4. This certificate is issued on the basis of declaration made by applicant and his/her parents in terms of rule of exclusion enumerated in OM No 36012/22/93-Estt (SCT) dated 08-09-1993 and is valid for one year from the date of issue. This certificate will, however, be valid if it is enclosed with current declaration of being non-creamy layer, for the financial year in which such declaration is made in the form-15 specified for the purpose.

Signature.....

Designation.....

Place..... (with seal of office)

Date.....

अनुसूची - 'ड.'

परिविष्ट-1

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSESS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____ Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____ village/Street _____ post Office _____ District _____ in the State/Union Territory Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'Family'** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
 - II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
 - IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/ EBC-I/BC-II.

Signature with seal of office _____

Name _____

Designation _____

Recent Passport size
attested Photograph
of the applicant

*Note1: Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note3: The property held by a "Family" in different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.